पत्रांक– वित्त(SFC)–12/24(15)....242/ वि0 आ0

झारखण्ड सरकार

राज्य वित्त आयोग

राँची, दिनांक...10-12-2024

प्रेषक,

अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय– **पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा मांगी गयी सूचनाओं के प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंग– आयोग के पत्रांक–26/वि0आ0 दिनांक–10.04.2024, पत्रांक–55/वि0आ0 दिनांक–13.05.2024, पत्रांक–110/वि0आ0 दिनांक–02.07.2024,पत्रांक–185/वि0आ0 दिनांक–08.10.2024,

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा अप्रैल 2024 में प्रत्रांक 26 दिनांक 10.04.24 के द्वारा Memorandum प्रेषण का अनुरोध किया गया था। साथ ही विभिन्न सूचनाओं की भी मांग प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से की गई थी। ज्ञातब्य हो कि **निदेशक, पंचायती राज** राज्य वित्त आयोग के पदेन सदस्य भी है। लेकिन विभाग द्वारा आयोग को अबतक कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। आप अवगत है कि विभाग द्वारा जबतक आयोग को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, आयोग को अग्रतर कार्रवाई करना संभव प्रतीत नहीं होता है। आप इससे भी अवगत है कि 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग के द्वारा राज्य वित्त आयोग के लिए प्रतिवेदन का प्रेषण करने के लिए एक प्रारूप (template) अनिवार्य है। 15वें वित्त आयोग ने संबंधित निदेश के अनुपालन का अनुशंसा की थी जिसे स्वीकार किया किया गया है। इस निदेश में अंकित अधिकतम बिन्दु पूर्व के पत्रों में समाहित है। सुलभ प्रसंग हेतु अतिरिक्त सूचना के लिए वित्त आयोग के बिन्दुओं को प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए एक ब्यौरा अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में यथाशीघ्र निम्न सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए :–

1. नामित नोडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी सहित।
2. 73वें संविधान संशोधन के क्रम में Schedule –11 में अंकित 29 विषयों के delegation of power की स्थिति एवं उसके अनुपालन की स्थिति।
3. Memorandum समर्पण एवं Presentation की स्थिति।
4. PRI द्वारा OSR (own source revenue) की स्थिति।
5. **OSR हेतु** झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों के आलोक में **अधिसूचित नियमावली, संकल्प, परिपत्र** जो PRI को विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाने की दर एवं प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में निर्गत हो।
6. GPDP का ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रेषण की स्थिति तथा पंचायत (PRI के) Audit प्रक्रिया की स्थिति। क्या Audit CAG द्वारा संसूचित प्रक्रिया अनुरूप किया जाता है ?
7. क्या केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुदान राशि की भांति क्या **अन्य योजना (केन्द्र/राज्य)** तथा अन्य खर्चो का ब्यौरा भी ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर PRI द्वारा अपडेट किया जाता है या नहीं । अगर नहीं तो क्या यह प्रक्रियाधीन है, उसका Status स्पष्ट किया जाय।
8. **अन्य श्रोतों से** प्राप्त राशि/व्यय का वार्षिक Audit क्या GPDP की ही तरह किया जाता है ?
9. **जीपीडीपी (GPDP)** के तहत चयनित योजनाएं जो पीआरआई (PRI) के विभिन्न स्तरों (पंचायत/प्रखण्ड/जिला) पर कार्यान्नवित **नहीं** होती है, क्या ऐसी **अवशेष योजनाएं संबंधित विभागों द्वारा अपने वार्षिक बजट** में शामिल किया जाता है या नहीं ? इसकी अधतन स्थिति क्या है ?
10. GPDP के कार्यो की monitoring तथा अन्य विभागों से GPDP तथा PRI को delegation of power (73rd amendment Schedule 11) एवं implementation of delegating power के बिन्दुओं की Monitoring **हेतु क्या अन्तर्विभागीय समन्नवय की कोई स्थापित प्रक्रिया है ?** क्या पंचायती राज विभाग नोडल विभाग के रूप में यह कार्य करता है, अगर हॉ तो इसकी स्थापित प्रकिया क्या है? संबंधित संकल्प/परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराया जाय।
11. **पंचायती राज विभाग** द्वारा पंचायतो को प्रतिमाह रू0 **15000/– (पंद्रह हजार)** विभिन्न प्रशासनिक कार्य हेतु उपलब्ध कराए जा रहे है। यह कब से प्रारंभ हुआ? संबंधित अधिसूचना

की प्रति तथा पंचायत के क्रियाकलाप पर इस संशाधन के प्रभाव की स्थिति। क्या यह ऐसी **व्यवस्था PRI के अन्य स्तरो (प्रखण्ड/जिला)** पर भी उपलब्ध होता है ?

12. प्रत्येक पंचायत स्तर पर **एक पंचायत सचिव** कार्यरत है/नहीं, है इसकी अधतन स्थिति क्या है ? इस लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा क्या निर्धारित है?

13. आप अवगत होंगे कि देश में **5000 या उससे ज्यादा** तथा 10000 से कम आवादी वाले पंचायत (GP) वाले राज्यों की संख्या मात्र **चार (4)** है यथा **राजस्थान, उड़ीसा, झारखण्ड तथा कर्नाटक** तथा **10000 से अधिक आवादी वाले ग्राम पंचायत वाले मात्र 3 (तीन) राज्य बिहार, केरल तथा प0बंगाल** है। पंचायतों के अधिक आवादी होने से पंचायतों में पर्याप्त मैनपावर (Adiquate human resource) उपलब्ध कराना सहज एवं कम ब्यय वाला हो सकता है। इस क्रम में प्रशासी विभाग संबंधित राज्यों का Manpower Model का अध्ययन करना चाहेगा। PRI को प्रभावी बनाने के लिए समुचित Modal adopt करना चाहिए।

14. **पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था** में कौन कौन पदधारी है तथा कितने पदाधिकारी/कर्मी संविदा या मानदेय पर कार्यरत है। प्रशासी विभाग इस व्यवस्था से संतुष्ट है या सुधार की आवश्यकता महसूस करता है। क्या कोई मानक सभी PRI स्तर के लिए तैयार किया जा सकता है?

15. **निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण** पर क्या व्यय होता है तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा ऐसी संस्था की क्षमता तथा गुणवत्त की क्या स्थिति है? एक संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहेंगे। **क्या निर्वाचन के तीन माह के अंदर** में सभी पदधारको की Basic Training की अद्यतन उपलब्ध व्यवस्था है? दूसरे राज्यों में क्या व्यवस्था है? **झारखण्ड में प्रशिक्षण व्यवस्था सुदृढीकरण** की क्या कार्ययोजना है?

16. 73rd संविधान संशोधन के सिड्यूल 11 में वर्णित 29 विषयों के डेलिगेशन की स्थिति, डेलिगेटेड पावर के अनुपालन की स्थिति क्या है? क्या इसकी समीक्षा **नोडल विभाग–पंचायत राज** द्वारा समय–समय पर की जाती है, तथा सुधार हेतु feed back भेजा जाता है? इसकी संस्थागत व्यवस्था क्या है?

17. **OSR के मामले में पडोसी राज्य छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा** ने काफी अच्छा कार्य किया है। यह पड़ोसी राज्य झारखण्ड की तरह संविधान की अनुसूची 5 के राज्यो में अधिसूचित है। इस अनुसूची में अन्य राज्य यथा **तेलगांना एवं आन्ध्रप्रदेश में भी इस बिन्दु पर** अच्छे कार्य करने

की सूचना प्राप्त है । क्या प्रशासी विभाग इस व्यवस्था के **अध्ययनोपरांत** इसके अनुपालन करने हेतु संकल्न/नियमावली /अधिसूचित करने पर विचार कर रहा है ?

18. PRI संस्था एवं ग्राम सभा जो 5th Schedule area में हैं उसके बीच समन्वय को सुदृढ एवं बेहतर बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रहीं है ?

19. PRI के सभी स्तर पर उपलब्ध Physical and Digital infrastructure की स्थिति क्या है? Bharat Net की स्थिति क्या है?

20. क्या PRI के Annual Audit की कोई स्थाई तथा संस्थागत व्यवस्था निर्धारित है? क्या Local Audit Deptt/cell वित्त विभाग अथवा पंचायती राज विभाग में कार्यरत है? क्या Audit Standard तैयार किया गया है?

21. क्या PRI के Annual Report प्रकाशित करने की कोई व्यवस्था है?

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग।

ज्ञापांकः– वित्त(SFC)–12/24(15)–242/**वि0 आ0** **राँची, दिनांकः–**10-12-2024

प्रतिलिपि :– सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग।

अनुलग्नक–1

Data/ Information Required for The Report of the 5th State Finance Commission, Jharkhand

Department of Panchayati Raj

1. Functional Devolution and Activity Mapping (*Progress towards the delegation envisaged in Articles 243 G and 243 W : this may be assessed (a) in terms of formal notifications issued (b) linked to financial transfers as outlined in Section C of Chapter IV)*
2. Financial Accountability (*Quality of accounts maintained, whether technical guidance and supervision of C&AG has been availed, audit arrangements in place, status of audit of accounts and disposal of audit objections)*
3. Action Taken on Recommendations Relating to Devolution of Finances
4. Action Taken on Other Recommendations
5. Administrative Issues in functioning of PRI/RLB
6. Role of Parastatals in Managing Functions Listed in XIth and XIIth Schedules and Linkages Between them and the Respective Local Bodies
7. Assessment of the Physical Services Provided by the Local Bodies – Level of Services –Availability, Access, Coverage and Quality
    i. A Quantitative Estimate of Service Deficits with a Brief Account of the Reasons for the Deficit
    ii. An Inventory of Assets; Current Use and Valuation
8. Assessment of Finances of PRIs ((To be done for Zilla Panchayats, Block Panchayats, and Gram Panchayats separately)
    i. Tax Revenue: Taxes on Buildings and Land, Taxes on Non-motorized Vehicles, Taxes on Advertisements and Hoardings, Pilgrim Tax, Entertainment Tax, Other; **Unrealised Revenue(accrual basis)**
    ii. Non-Tax Revenue: User Charges, Fees, Royalty on Minor Minerals, Dividend, Interest, Other
    iii. Transfers from State Government (*Trend analysis as well as a description of the nature of the transfers to be provided. Also criteria for estimating transfers including grants)*
        i. Assigned Taxes
        ii. Share in State Taxes
        iii. General Purpose Grants
        iv. Special Purpose Grants
        v. Transfers for Agency Functions
    iv. Transfers from the Central Government:
        i. Finance Commission Grants and impact - whether such flows were an additionality to State Government flows,
        ii. Agency Functions
    v. Capital Account Receipts & Debt Status
    vi. Expenditure on Revenue Account (*Expenditure analysis; component of regulatory and enforcement expenditures, operations and maintenance costs, interest payments and expenditure on services in weaker section areas/slum settlement including area improvement/slum improvement and upgrading and adequacy of such expenditures)*
        i. Administration

ii. Civic Functions: Water Supply, Street Lighting, Sanitation, Solid Waste Disposal

vii. Expenditure on Maintenance of Community Assets

viii. Expenditure on Schemes Assigned by the State Government

ix. Expenditure on Schemes Assigned by the Central Government

x. Expenditure of Interest

xi. Expenditure incurred directly by State Government on behalf of Local Bodies (Salaries, Pensions and other liabilities wherever applicable)

xii. Deferred Expenditure - including unpaid bills, Annuity payments

xiii. Capital Expenditure

xiv. Net Budgetary Position

xv. Review of Fiscal and Financial Management

9. Recording of best practices:
   - *i.* Zila Panchayat
   - *ii.* Block Panchayat
   - *iii.* Gram Panchayat

10. Assessment of the Gap in Financial Resources and Scheme of Devolution

(A) Assessment of the Gap (Normative adjustments made as well as assumptions for the same, population projections for the reference period, functional domain and norms for services, financial norms for services, volume of financial requirements for five years)

Rural Local Bodies: Nagar Panchayats, Municipal Councils, Municipal Corporations

- *i.* Zila Panchayat
- *ii.* Block Panchayat
- *iii.* Gram Panchayat

(B) Strategy for Bridging Normative Vertical Gap

(i) *Approach to tax and non-tax domain – how can tax and non-tax revenue collection efficiency be improved? What incentives should be put in place? How much more can be mobilised by better application of the existing tax domain?*

(ii) *Other Approaches – Market; PPP etc*

(C) Scheme of Devolution

a. *Assigned Taxes*
b. *Share in State Taxes*
c. *Share of the PRIs and Inter se Distribution*
d. *Grants-in-aid : Specific Purpose or General Purpose; Timing; Conditionality*

(C) Monitoring & Evaluation System (*Whether local bodies have in place a framework to monitor the levels of service provided by them in their jurisdiction in comparison to the minimum standards notified*)